

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(1)प्राशि/आयो/2016

जयपुर, दिनांक:

17/7/17.

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रवेश एवं काउंसलिंग की अनुमति प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक: F.NRC/NCTE/RJ-2095,RJ-2068 , RJ-1406, Rj-1570 Legal File No.1686 Date 31-05-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी RECOGNITION ORDER की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित कराने की शर्त पर निम्नांकित संस्थाओं को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रवेश एवं काउंसलिंग में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

S.No	Name and Address of the Institution	course
1	अम्बिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) वार्ड नं. 17 मल्लीसर, झुंझुनू।	D.El.Ed. 50 सीटे
2	जे.एम.बी.एस.टी.कॉलेज, बुहाना जिला झुंझुनू।	D.El.Ed. 50 सीटे

यदि संस्था द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर से संबद्धता प्राप्त नहीं की है तो निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से संबद्धता प्राप्त करें।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एल.आई.सी. भवन, अम्बेडकर सर्किल, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. समन्वयक, बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा।
8. सम्बन्धित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र सिंह)

सहायक शासन सचिव